

दिनांक	आवृत्ति पत्र
21-1-19	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैफरेंस की तारीख शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैफरेंस के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली करते तलवी रिकार्ड दिनांक 21.1.19 को पेश हों।</p>
20-9-18	<p>पत्रावली प्रस्तुत/तारीख अपीलान्त/रैफरेंस उपस्थित। पीठाधीन अधिकारी को पत्र आज ही पेश करें। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार पेश हों।</p>
5-12-19	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैफरेंस की तारीख शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैफरेंस के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली करते तलवी रिकार्ड दिनांक 5.12.19 को पेश हों।</p>
21/1/24	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैफरेंस की तारीख शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैफरेंस के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली करते तलवी रिकार्ड दिनांक 21.1.24 को पेश हों।</p>
15-3-24	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैफरेंस की तारीख शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रैफरेंस के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली करते तलवी रिकार्ड दिनांक 15.3.24 को पेश हों।</p>
14-5-24	<p>पत्रावली पेश। तारीख अपीलान्त को पूर्व पेशी पर विचार्यत ही गई थी कि तारीखी तिथि से पूर्व तारीख से शेष रैफरेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रैफरेंस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गर्म नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनया गया। पत्रावली फेराल सुधार होकर पत्र से कम होकर बाद तारीख तारीख वास्तविक दफतर हो।</p>

मू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पद्मेन राजेश्वर अपील अधिकारी
रीकर